aspect ; protection of the environment by minimizing environmental risks in all projects; promoting private sector, dir ctly and indirectly; broadening and strengthening of the Bank's policy dialogue with Developing Member Countries; actively participate in donor coordination; expand co-financing activities ; and foster regional cooperation.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Grant of Facilities to Export Oriented Units

1897. SHRI SANTOSH BAGRODIA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) what is the difference in facilities granted to 100 per cent and 75 per cent export oriented units ; and

(b) what is the number of 100 per cent export oriented units and also 75 per cent export oriented units established during the last two years ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI ARANGIL SREEDHARAN) : (a) No scheme for setting up 75% export oriented units is in existence.

(b) Thirty four units approved under the Scheme of 100% Export Oriented Units have reported commencement of production during 1988 and 1989.

आयकर अपवंचन के मामले

1898. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर अपवंचन के मामलों का पता लगाने के लिए वर्ष-वार कितने-कितने छापे मारे गये, तथा प्रतिवर्ष आयकर अपवंचन की कितनी-कितनी धनराशि का पता लगाया गया ; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार की इस संबंध में क्या योजना है, तथा सरकार ने अभी तक कर अपवंचन की कितनी धनराशि का पता लगाया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अनिल शास्त्री) : (क) और (ख) विगत तीन वित्तीय वर्षों 1987-88, 1988-89 1989-90 में तथा चालू वित्तीय वर्ष में जुलाई तक आयकर विभाग द्वारा कितनी तलाशियां ली गई और कितने मूल्य की परिसम्पत्तियां अभिगृहीत की गई तथा आयकर अधिनियम की धारा 132(4) के अधीन घोषित की गई/छिपाई गई आय के विस्तृत ब्यौरे निम्नप्रकार हैं :—

वित्तीय वर्ष	ली गई तलाशियों की संख्या	अभिगृहीत की गई परिसंपत्तियों का मूल्य (करोड़ रु० में)	घोषित की गई/छिपाई गई आय (करोड़ रु० में)
1987-88	8464	145.02	147.49
1988-89	7505	152.70	249.35
1989-90	3984	128.02	193.44
1990-91 (जुलाई, 1990 तक) . . .	1057	33.23	46.17

*आयकर विभाग कर-अपवंचन के समुचित मामलों में बराबर तलाशियां ले रहा है।